In pursuance of the provision of clause (3) of article 348 of the Constitution of India, the Governer is pleased to as do the publication of the following English Translation of notification n0 dated for General Information.

Uttarakhand Government
Industrial Development Section-2
No /VII-A-2 / 2021 / 137 Industries / 2005,
Dehradun Dated 01 July, 2021

NOTIFICATION

Whereas, in the past, for ensuring planned urban and industrial development in the state, development areas and industrial development areas were notified by constituting Development Authority and State Industrial Development Authority respectively. In these notified areas, made under the relevant Acts in force, the purpose was to control the uncontrolled and unplanned expansion and construction of future urban and industrial activities, as well as to insure planned development in the future and whereas at present no consolidated authority exists outside the notified development areas and industrial development areas for ensuring plan development.

Now, therefore, in exercising the powers conferred under section 2 (d) of the U.P Industrial Area Development Act, 1976 (as applicable in the State of Uttarakhand), read under section 2 of the U.P. Industrial Area Development (Removal of Doubts and Validation) Act, 1991, the Governor is hereby pleased to authorise State Industrial Development Authority (SIDA) for planned expansion of industrial activities in all such areas falling outside, such as regulating and planning works is being observed by the State Industrial Development Authority (SIDA) in the notified industrial area of the state, similarly in other area of state in which future industrial development is possible, and which are not currently cover under any authority, authorize the State Industrial Development Authority (SIDA) as Planning authority just as State Industrial Development Authority (SIDA) is doing the work of approving building map in the notified area as per the Uttarakhand Government Notification No.89/VII-1/20155-137-Industry/2005, dated 12.01.2015, Similarly, while declaring such areas as industrial areas for industrial activities SIDA is hereby authorised to approve development and/or building maps of the industrial units being built outside the notified areas.

The Governor also directs that under section 51(1) read with section 12 of the Act, the proposal regarding notification of such cases as industrial areas for industry and industrial activities under section 2 (d) shall be providing to the government.

(Sachin Kurve)
Secretary.

SIDCUL
Dy 604
03.7.21

Scanned by TapScanner

13414

उत्तराखण्ड शासन
औद्योगिक विकास अनुभाग–2
संख्या : /VII-A–2/2021/137–उद्योग/2005
देहरादून :दिनांक 30 जून, 2021

अधिसूचना

चूँकि पूर्व में, राज्य में नियोजित नगरीय एवं औद्योगिक विकास हेतु क्रमशः विकास प्राधिकरण तथा राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण का गठन कर विकास क्षेत्र तथा औद्योगिक विकास क्षेत्र अधिसूचित किये गये थे। इन अधिसूचित क्षेत्रों में तत्सम्बन्धी प्रचलित अधिनियमों द्वारा भावी नगरीय एवं औद्योगिक गतिविधियों के अनियन्त्रित एवं अनियोजित प्रसार एवं निर्माण को हतोत्साहित कर नियंत्रित करने के साथ–साथ भावी विकास को नियोजित दिशा प्रदान करने का उद्देश्य था; और चूँकि राज्य में उक्त अधिसूचित विकास क्षेत्रों तथा औद्योगिक विकास क्षेत्रों के बाहर के क्षेत्रों में भावी औद्योगिक विकास को नियंत्रित करने एवं नियोजित विकास सुनिश्चित करने हेतु वर्तमान में कोई समेकित प्राधिकरण अस्तित्व में नहीं है;

अतः, अब राज्यपाल, उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम, 1976 (उत्तराखण्ड राज्य में यथा प्रवृत्त) की धारा 2(घ), सपठित उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास (संदेह निवारण और वैधकरण) अधिनियम,1991 की धारा 2 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, ऐसे समस्त बाहर के क्षेत्रों में औद्योगिक गतिविधियों के नियोजित प्रसार हेतु, जिस प्रकार राज्य के अधिसूचित औद्योगिक क्षेत्रों में राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण (सीडा) द्वारा विनियमन तथा नियोजन कार्य देखा जा रहा है, उसी प्रकार राज्य के अन्य क्षेत्रों, जिनमें भावी औद्योगिक गतिविधियॉ सम्भावित हैं तथा जो वर्तमान में किसी प्राधिकरण के अन्तर्गत आच्छादित नहीं है, में भी राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण (सीडा) को Planning Authority के रूप में अधिकृत करने एवं जिस प्रकार राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण (सीडा) द्वारा उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या–89/ VII–1/2015– 137–उद्योग/ 2005, दिनांक 12.01.2015 के अनुसार अधिसूचित औद्योगिक क्षेत्रों में भवन मानचित्र स्वीकृत करने का कार्य किया जा रहा है, उसी प्रकार समय–समय पर सीडा को अधिसूचित क्षेत्रों से बाहर निर्मित हो रही औद्योगिक इकाईयों के औद्योगिक विकास मानचित्र स्वीकृत करने हेतु भी, ऐसे क्षेत्रों को औद्योगिक गतिविधियों हेतु औद्योगिक क्षेत्र घोषित करते हुए, एतद्द्वारा सीडा को अधिकृत करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

राज्यपाल यह भी निर्देश देते हैं कि अधिनियम की धारा 51(1) सपठित धारा 12 के अन्तर्गत ऐसे प्रकरणों को धारा 2(d) के तहत उद्योग एवं औद्योगिक गतिविधियों हेतु औद्योगिक क्षेत्र के रूप में अधिसूचित किये जाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव, शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

(सचिन कुर्वे)
सचिव।
क्रमशः 2

E: Year 2021/General/UO 2021

Scanned by TapScanner